अफसर से मतभेद था तो गोली चलाना नहीं हो सकता उसका हल : हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीआरपीएफ कांस्टेबल संतराम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तनावपूर्ण हालात और छुट्टी न मिलना किसी जवान को अपने ही अफसर और साथियों की हत्या करने का अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह कृत्य अमानवीय, जघन्य और साजिश के तहत किया गया अपराध है, जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। कोर्ट ने संतराम की अपील खारिज कर दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बलों के जवानों को विशेष अनुशासन और दबाव झेलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर छुट्टी नहीं मिली या अफसर से मतभेद था, तो उसका हल गोली चलाना नहीं हो सकता।

यह है मामला

घटना 9 दिसंबर 2017 की है, जब बस्तर के बासागुड़ा के सीआरपीएफ कैंप की 168वीं बटालियन में कार्यरत संत कुमार का अपने उपनिरीक्षक विक्की शर्मा से ड्यूटी को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि संत कुमार ने अपनी एके-47 राइफल से विक्की शर्मा, एएसआइ राजीव सिंह और कांस्टेबल मेघ सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद उसने मनोरंजन कक्ष में छिपे कांस्टेबल शंकर राव को भी गोली मार दी, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई। इस हमले में एसआइ गजानंद सिंह गंभीर रूप से घायल हुए, भागकर जान बचा ली।